

एन.एच.पी.सी. लिमिटेड
तीस्ता लो डैम - IV पावर स्टेशन (160 मेगावाट), पश्चिम बंगाल
पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

मार्च, 2026 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट

1	परियोजना का नाम	तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशन (160 MW)		
2	परियोजना का प्रकार	जलविद्युत परियोजना		
3	स्वीकृति पत्र- कार्यालय ज्ञापन संख्या व तारीख : क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति (ख)वन संबंधी स्वीकृति	क) संख्या. जे-12011/46/2004-I-A-I दिनांक: 31.3.2005. ख) वन भूमि का विवरण :		
		पत्र संख्या	दिनांक	वन भूमि (हेक्टेयर)
		एफ-8-61/2004-एफ सी	30.03.2006	338.05
		एफ.8-61/2004-एफ सी	13.11.2007	4.9
4	स्थान : क) जिला ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	तीस्ता लो डैम –IV पावर स्टेशन डेम साइट: तीस्ता पुल से 18.3 किमी डाउनस्ट्रीम, एनएच 31A के नजदीक क) दार्जिलिंग ख) पश्चिम बंगाल ग) 26°55' 32" उत्तर से 28°07' उत्तर घ) 88°0' पूर्व से 88°53' पूर्व		
5	पत्र व्यवहार का पता : क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और दूरभाष/फेक्स नम्बर सहित) ख)निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और दूरभाष/फैक्स नम्बर सहित)	क) महाप्रबंधक (प्रभारी), टीएलडी-IV पावर स्टेशन, एनएचपीसी लिमिटेड रामबी बाज़ार , पोस्ट ऑफिस – रेयांग जिला – दार्जिलिंग , पश्चिम बंगाल – 734 008 दूरभाष.- 03552-261018 ख) कार्यपालक निदेशक पर्यावरण एवं विविधता प्रबंधन विभाग, निगम मुख्यालय, एनएचपीसी लिमिटेड सेक्टर 33, फरीदाबाद (हरियाणा)-121 003 दूरभाष - 0129- 2254038		
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) अनुलग्नक -I में सूचीबद्ध है।		
7	परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण): क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र) ख) अन्य			
		क) जलमग्न वन भूमि	264.90 हेक्टेयर	
		ख) अन्य गतिविधि हेतु वन भूमि	78.05 हेक्टेयर	
		कुल वन भूमि	342.95 हेक्टेयर	
		10.90 हेक्टेयर गैर-वन भूमि (सरकारी भूमि) टीएलडी-III पावर स्टेशन में स्थित कॉलोनी के लिए बुक की गई है।		
8	जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन	कोई भी परिवार जलमग्न क्षेत्र से प्रभावित नहीं हुआ है। यद्यपि 11 परिवार जो कि डैम के डाउनस्ट्रीम में स्थित 8 हटमेंट में रहा करते थे उनको पुनर्स्थापित किया गया है, क्योंकि ईआईए व		

	मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण: क) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /आदिवासी ख) अन्य	ईएमपी के अनुसार यह क्षेत्र उच्च बाढ़ स्तर के अंतर्गत आता है। घर व निजी भूमि खोने वाले परिवार – शून्य क) अनुसूचित जाति :11 परिवार (जो कि डैम के डाउनस्ट्रीम में रहा करते थे) ख) अन्य : शून्य
9	वित्तीय ब्यौरा: क) परियोजना की लागत, जैसी कि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष। ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च	क) डीपीआर के अनुसार , कुल खर्च : 998.36 करोड़ रुपये (मूल्य स्तर अगस्त -2003) व सीसीईए के अनुसार 1061.37 करोड़ रुपये (मूल्य स्तर मार्च -2005). ख) ₹1782.52 करोड़ (दिनांक 31.03.2019, संशोधित पूर्णता लागत, जैसा कि एमओपी द्वारा अनुशंसित है) ग) ईएमपी में प्रावधान 1689.21 लाख रुपये (2003 मूल्य स्तर पर) जो कि सीसीईए की मंजूरी के समय बढ़ा कर 3804.18 लाख रुपये हो गया (मूल्य स्तर.-2005) । घ) ₹ 4873.75 लाख (अनुलग्नक -I के अनुसार)
10	वन भूमि की आवश्यकताएं : क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति। ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति।	क) 342.95 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन परियोजना के निर्माण के लिए किया गया है । ख) परियोजना एवं जलाशय क्षेत्र के लिए वन भूमि में पेड़ों की कटाई का कार्य पश्चिम बंगाल वन विकास निगम द्वारा जलाशय भरने से पहले किया गया था।
11	निर्माण की स्थिति: क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और / अथवा आयोजना की गई) ख) पूरा होने की तारीख (वास्तविक और/अथवा आयोजना की गई)	क) 05.06.2006 (वास्तविक) ख) अगस्त 2016 (वास्तविक)
12	विलम्ब के कारण : यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है।	लागु नहीं । परियोजना आरम्भ कर दी गई है।
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा	क) मल्टी डिस्प्लिनरी मानीटरिंग समिति (ईएमसी) की छठी एवं सातवीं बैठक तथा स्थलों का दौरा क्रमशः दिनांक 15.01.2018 एवं 25.11.2019 को संपन्न हुआ । आठवीं ईएमसी बैठक 18.06.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित की गई थी। ख) उप निदेशक (एस), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ईएमसी सदस्यों के साथ दिनांक 15-16 जनवरी 2018 को परियोजना का दौरा किया। क्षेत्रीय कार्यालय-भुवनेश्वर, एमओईएफ व सीसी के वैज्ञानिक-बी ने 25.11.2019 को ईएमसी बैठक के हिस्से के रूप में परियोजना स्थल का दौरा किया। 18.06.2021 को संपन्न ईएमसी बैठक की चर्चा के अनुसार,

		कलिम्पोंग और सीसीएफ हिल सर्कल के डीएफओ ने संयुक्त रूप से 24.07.2021 को कलिम्पोंग वन प्रभाग के तहत बाएं किनारे के क्षेत्र का दौरा किया।
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट:	अनुलग्नक -II के अनुसार।

अनुलग्नक -I

तीस्ता लो डैम-IV पावर स्टेशन (160 मेगावाट) के पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं हेतु बजट का आवंटन एवं खर्च का विवरण

क्रम संख्या	पर्यावरण प्रबंध योजना	ईएमपी में प्रावधान (पीएल 2003) (रुपये लाख में)	सीसीईए अनुमोदित (पीएल 2005) (रुपये लाख में)	व्यय (रुपये लाख में)
1	क्षतिपूरक वनीकरण	505.00	547.82	505.00
2	जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना	491.00	532.63	491.00
3	जैव विविधता संरक्षण योजना मत्स्य प्रबंधन योजना सहित	50.00	54.24	49.95
4	जलाशय रिम उपचार	132.60	143.87	1026.92
5	हरित पट्टी विकास	50.00	54.24	30.86
6	खदान तथा निर्माण स्थलों का पुनरुद्धार	5.00	5.42	--
7	मलबा निपटान योजना	25.00	27.12	208.52
8	* ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ठेकेदार क्लॉज़)	40.00	43.39	38.00
9	* ईंधन की व्यवस्था (ठेकेदार क्लॉज़)	16.00	19.53	202.18
10	स्वास्थ्य देखभाल	37.80	43.39	9.65+ ठेकेदार द्वारा
11	भूनिर्माण व सौंदर्यीकरण योजना	20.00	21.7	--
12	पारिस्थितिकी पर्यटन विकास योजना	99.00	114.99	91.22
13	आपदा प्रबंधन योजना	75.81	82.24	16.57
14	पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम	90.00	97.63	92.85
15	338.05 हेक्टेयर भूमि का एनपीवी	---	1960.69	1960.69
बी-भूमि				
16	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना	52.00	55.28	78.25
	कुल योग	1689.21	3804.18	4801.66
अन्य				
1	4.9 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का एनपीवी व सीए (पीएल 2007)	--	49.59	72.09
2	4.9 हेक्टेयर वन क्षेत्र के अतिक्रमण रोकने हेतु (जैसा कि वन प्रस्ताव में सुझाया गया है)	--	22.50	
	महायोग		3876.27	4873.75

* ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और ईंधन प्रबंधन की लागत ठेकेदार द्वारा खर्च किया गया था।

परियोजना के पर्यावरण मंजूरी पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी

क्र. स.	पर्या. स्वीकृति पत्र में निर्धारित शर्तें	निर्धारित शर्तों का अनुपालन
	क्र. स. 3 : भाग अ : विशिष्ट शर्तें	
i	प्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना, चार साल में पूरा किया जाना चाहिए:	ईएमपी में उल्लिखित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के कार्यान्वयन के लिए 27.02.2007 को पीसीसीएफ, पश्चिम बंगाल को ₹491 लाख रुपये जमा किए गए। 18.06.2021 को आयोजित 8वीं पर्यावरण निगरानी समिति (ईएमसी) की बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के कार्यों की प्रगति और फंड के उपयोग पर भी चर्चा की गई। राज्य वन विभाग ने 2020-21 तक ₹179.93 लाख रुपये का कुल उपयोग प्रस्तुत किया है। राज्य वन विभाग को संबंधित राज्य वन प्रभागों के साथ विभिन्न पत्राचारों और बैठकों के माध्यम से शेष कार्यों को पूरा करने के साथ-साथ जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के लिए जारी संपूर्ण निधि के लिए उपयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियमित रूप से अनुरोध किया जा रहा है।
ii	बांध अक्ष के बहाव में रहने वाले 11 परिवारों से कुल 41 व्यक्तियों की सामाजिक-आर्थिक उत्थान और सुरक्षा के लिए, ईएमपी रिपोर्ट में प्रस्तावित आर एंड आर योजना के रूप में पुनर्वासित किया जाना चाहिए:	परियोजना के जलमग्न होने से कोई भी आवास प्रभावित नहीं है। हालांकि, स्वीकृत आरएंडआर योजना के अनुसार पुनर्वास के लिए कुल 11 परिवारों की पहचान की गई थी क्योंकि वे परियोजना के उच्च बाढ़ क्षेत्र में रह रहे थे। सभी कोडल औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद, प्रत्येक नौ पीएएफ को मुआवजा दिया जा चुका है, हालांकि एक पीएएफ की मृत्यु हो चुकी है तथा कोई कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद नहीं है एवं दूसरे पीएएफ द्वारा दावा करना बाकी है। क्षेत्र को पीएएफ द्वारा खाली कर दिया गया है। परियोजना द्वारा क्षेत्र को बाढ़ से घेराव कर वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है।
iii	तीस्ता नदी का प्रवाह हालांकि बहुत तेज है, लेकिन अप्रत्याशित स्थिति की वजह से नदी का प्रवाह निर्माण गतिविधियों की वजह से कुछ बिंदुओं पर धीमा हो सकता है। यह मच्छरों के प्रजनन को जन्म दे सकता है। वहाँ कुछ मलेरिया रोगवाहक धीमी गति से चलती धाराओं में प्रजनन कर सकते हैं। नदी के इस भाग को ठीक से चैनलाइज किया जाना चाहिए ताकि कोई छोटी तालाब तथा पोखर का निर्माण न हो सके।	टीएलडी-IV परियोजना चालू की गई है एवं परियोजना अगस्त 2016 से पूर्णता संचालित है। यह परियोजना रन-ऑफ-द-रिवर योजना है अतएव यहां पानी का कोई ठहराव नहीं है।
iv	रियांग के पास तीस्ता नदी की सहायक नदियाँ, महासीर मछली के लिए पसंदीदा प्रजनन स्थल	मछलियों की आवाजाही के लिए बांध के आरसीसी निकाय में

	बनाती हैं। बांध के डिजाइन में मछली को प्रजनन हेतु अपस्ट्रीम शमन की अनुमति देने के लिए सीढ़ी का प्रस्ताव किया गया है। प्रवासी मछलियों के संरक्षण के लिए केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, कोलकाता ने अपनी रिपोर्ट में कुछ उपाय सुझाए हैं। इन उपायों का पालन किया जाना चाहिए।	फिश लैडर प्रदान किया गया है और प्रवासन की सुविधा के लिए पानी का निर्दिष्ट बहाव प्रवाहित किया जा रहा है। इसके अलावा, परियोजना द्वारा सीआईएफआरआई, बैरकपुर के माध्यम से फिश लैडर की प्रभावकारिता का अध्ययन कराया गया है। सीआईएफआरआई द्वारा सुझाए गए उपायों को लागू किया जा रहा है।
v	महानंदा वन्यजीव अभयारण्य, परियोजना से लगभग 0.35 किमी पर स्थित है। अभयारण्य क्षेत्र में परियोजना कार्यों से अशांति को कम करने के लिए, केवल नियंत्रित विस्फोट किया जाना चाहिए। ईएमपी में प्रस्तावित वनस्पतियों और जीव की सुरक्षा के लिए जैव विविधता संरक्षण योजना का पूर्णतया पालन किया जाना चाहिए।	महानंदा अभयारण्य में पशुओं के लिए अव्यवस्था कम करने हेतु सुझाए गए उपायों को निर्माण चरण के दौरान राज्य वन्यजीव प्रभाग के माध्यम से विधिवत लागू किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रचालनाधीन है और इसलिए पावर स्टेशन में कोई ब्लास्टिंग गतिविधियां नहीं हैं। इसके अलावा, ईएमपी में प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण योजना को दार्जिलिंग वन प्रभाग और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के माध्यम से सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
vi	बांध के डाउनस्ट्रीम में बाढ़-क्षेत्रीकरण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। बाढ़ क्षेत्र के भीतर कोई भी आवास की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।	उच्च बाढ़ के मामले में किसी भी घटना की निगरानी और शमन के लिए आपातकालीन कार्य योजना (ईएपी) में एक बाढ़ योजना शामिल की गई थी। ईएपी संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, बाढ़ स्तर क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को उचित रूप से मुआवजा दिया जा चुका है तथा स्थानांतरित भी किया जा चुका है। परियोजना के बहाव क्षेत्र में कोई बस्ती नहीं है।
vii	निस्तारण क्षेत्र की बहाली के लिए, उच्च निर्वहन या बाढ़ अथवा बारिश की अवधि के दौरान नदी के किनारे तथा नदी में इसके प्रवाह से किसी भी प्रकार के रिसाव से बचने हेतु उचित देखभाल की जानी चाहिए। उपयुक्त पौधों के साथ क्षेत्र को उचित रूप से वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।	निर्माण चरण के दौरान परियोजना द्वारा चिह्नित स्थलों पर मलबा निस्तारण का कार्य किया गया था। संरक्षण दीवारों, क्रेट दीवारों आदि के निर्माण एवं स्वेच्छिक वृक्षारोपण के द्वारा इनको संरक्षित कर दिया गया है।
भाग-ब : सामान्य शर्तें		
i	परियोजना लागत पर निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए पर्याप्त निःशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वृक्षों की अवैध कटाई को रोका जा सके।	यह परियोजना अगस्त, 2016 में पहले ही संचालित हो चुकी है और निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों को हटा दिया गया है। हालांकि, निर्माण चरण के दौरान इसका विधिवत अनुपालन किया गया था।
ii	ईंधन प्रदान करने के लिए साइट पर ईंधन (केरोसिन / लकड़ी / एलपीजी) भंडार खोला जा सकता है। मजदूरों को चिकित्सा सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।	परियोजना 2016 से परिचालन में है, इसलिए परियोजना में कोई श्रमिक आबादी नहीं रह रही है। हालांकि, परियोजना चिकित्सालय द्वारा स्थानीय ग्रामीणों/मजदूरों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही है।
iii	निर्माण कार्यों में लगाए जाने वाले सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पूरी जांच की जानी चाहिए और कार्य की अनुमति देने से पहले उनका पर्याप्त रूप से उपचार किया जाना चाहिए।	निर्माण चरण के दौरान शर्त का अनुपालन किया गया था। यह परियोजना अगस्त, 2016 से परिचालन में है एवं परियोजना में कोई श्रमिक आबादी नहीं रह रही है।
iv	पनुवार्स एवं पुनर्स्थापन के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए जिसमें इस परियोजना के प्रतिनिधियों, परियोजना से प्रभावित अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं एक	योजना के क्रियान्वयन के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट, सिलीगुड़ी की अध्यक्षता में जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग ने दिनांक 29.04.2008 को एक कमेटी का गठन किया। निर्धारित शर्तों का विधिवत पालन करते हुए पनुवार्स एवं

	महिला लाभार्थी शामिल होना चाहिए।	पुनर्स्थापन योजना लागू की गई।
v	निपटान स्थल सहित निर्माण क्षेत्र को समतल करके, गड्ढों को भरकर, भूनिर्माण आदि द्वारा उत्खनित सामग्री की बहाली सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उपयुक्त वृक्षारोपण के साथ क्षेत्र का उचित उपचार किया जाना चाहिए।	निर्माण चरण के दौरान केवल निर्दिष्ट/चिह्नित स्थलों पर ही मलबा का निस्तारण किया गया। उपयुक्त संरक्षण दीवारें, क्रेट कार्य आदि प्रदान करके स्थलों को विधिवत संरक्षित किया गया। इसके उपरांत स्वैच्छिक वृक्षारोपण के द्वारा इसको पूरी तरीके से स्थिर किया गया।
vi	उपरोक्त सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।	ईआईए/ईएमपी या अन्य अध्ययनों के अनुसार, सुझाए गए उपायों के सफल कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कुल बजट/अनुबंध दस्तावेज में आवश्यक बजट/ठेकेदार अनुच्छेद रखा गया।
vii	सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वानिकी, पारिस्थितिकी, वन्य जीवन, मृदा संरक्षण, गैर सरकारी संगठन आदि के विभिन्न विषयों के प्रतिनिधियों के साथ एक बहु-विषयक समिति का गठन किया जाना चाहिए।	बहुविषयक पर्यावरण निगरानी समिति का गठन किया गया एवं समिति ने अब तक 17.01.2008, 10.12.2008, 20-22.04.2010, 22.09.2011, 11.09.2015, 15.01.2018, 25.11.2019 एवं 18.06.2021 को क्रमशः आठ बैठकें आयोजित की हैं।
viii	मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग को समीक्षा के लिए छह मासिक निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।	छह-मासिक निगरानी रिपोर्ट नियमित रूप से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है। पिछली प्रगति रिपोर्ट वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता को पत्र दिनांक 31.10.2025 के माध्यम से प्रस्तुत की गई।

नोट : यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए अंग्रेजी रिपोर्ट का हिन्दी अनुवाद है। भावार्थ में, कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाएगा।
